न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 11/2020

अपीलांट

1. श्रीमती सीमा भाटिया पत्नि रमेश भाटिया ,जाति घांची निवासी द्वारकाधीश मन्दिर के पास तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही।
2. श्रीमती तारा पत्नि लालूराम ,जाति घांची निवासी द्वारकाधीश मन्दिर के पास तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पांडेंट

1. राजस्थान सरकार जरिए उपतहसीलदार, भावरी ।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा।
3. हल्का पटवारी भावरी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अपीलांट ।
2. पैरोकार सरकार ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय

दिनांक 22.09.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उप तहसीलदार भावरी द्वारा मौजा भावरी के खसरा संख्या 1172 पर अतिक्रमण करने से मुकदमा संख्या 163/2019 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व प्रस्तुत की अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई ।

दोनो पक्षों की बहस दिनांक 15.09.2020 को सुनी गई । अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे [illegible] बहस में निवेदन किया कि उप तहसीलदार, भावरी द्वारा अपीलाधीन [illegible] रित करने में विधि एवं कानूनी तथ्यों की जांच किये बगैर निर्णय पारित किया [illegible] है । अतः उक्त निर्णय में अंकित भूमि खसरा संख्या 1172 [illegible] अपीलांट के पट्टेशु[illegible] है। जो ग्राम पंचायत भावरी द्वारा श्री फतेराम पुत्र [illegible] जोगाजी जोगी निवासी [illegible]गंज तहसील पिण्डवाडा को पट्टा संख्या 1 बुक संख्या 111 दिनांक 09.04.2013 को जारी

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया गया था जिसको अपीलांट संख्या 1 ने जरिये विक्रय विलेख के 24.04.2013 के द्वारा रूपये 3 लाख 50 हजार में 1912.50 वर्गफुट भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। एवं श्री मोहन पुत्र श्री वीराराम जोगी निवासी सरूपगंज को पट्टा संख्या 2 बुक संख्या 111 दिनांक 09.04.2013 को जारी किया गया था जिसको अपीलांट संख्या 2 ने जरिये विक्रय विलेख के 24.04.2013 के द्वारा रूपये 3 लाख में 1912.50 वर्गफुट भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया।

अपीलांट संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत भावरी से उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु अनुमति मांगी गई जिस पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 10.09.2013 को प्रस्ताव संख्या 02/05 के द्वारा आज्ञा क्रमांक 333 दिनांक 12.09.2013 एवं अपीलांट संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत भावरी से उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु अनुमति मांगी गई जिस पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 10.09.2013 को प्रस्ताव संख्या 02/04 के द्वारा आज्ञा क्रमांक 332 दिनांक 12.09.2013 अनुमति दी गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा गैर कानूनी रूप से अपीलांट के पट्टेशुदा भूमि में गलत जांच के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलाधीन मुकदमा दर्ज कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने में कानूनी भूल की है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अपीलांट को ग्राम पंचायत द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार भवन निर्माण करने की अनुमति यथावत बहाल रखी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 एवं सम्पत्ति अतंरण अधिनियम 1882 एवं रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधित अधिनियम 2002 की धारा 51 एवं 55 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उक्त विधिक दृष्टांत विचारणीय प्रकरण में लागू होते है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा अपीलांट अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का भावरी द्वारा मौजा भावरी के खसरा नम्बर 1172 रकबा 3750 वर्गफीट किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर शोरूम निर्माण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक टीम का गठन किया जाकर मौके की भूमि का सीमाकंन करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भावरी, रोहिडा, वाटेरा एवं पटवारी हल्का भावरी को टीम शामिल किया जाकर जांच करवाने पर अपीलांट का अतिक्रमण सही होना पाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत कायम रखते हुए अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मीमो एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिपेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुँचते है कि विवादित भूमि मौजा भावरी के खसरा संख्या 1172 रकबा 3750 वर्गफुट किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:44 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि खसरा संख्या 1172 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को ग्राम पंचायत भावरी को आबादी विस्तारित आबंटित किया गया है। आज भी उक्त भूमि गैर मुमकिन आम रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम पंचायत को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

के तहत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि किसी भी व्यक्ति को आंवटन करने पर प्रतिबंध है।

विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि दर्ज है जो कभी भी ग्राम पंचायत को आंवटन हुई हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1172 रकबा 3750 वर्गफुट पर अपीलांट का अतिक्रमण ही माना जायेगा। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 एवं संपति अतंरण अधिनियम 1882 एवं रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधित अधिनियम 2002 की धारा 51 एवं 55 प्रकरण में लागू नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिपूर्ण होने से हस्तक्षेप करना न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होगा अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत कायम रखा जाकर अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:52:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner